



कार्यालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची

(जिला नजारत शाखा)

प्रेस विज्ञप्ति

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

नवनिर्मित परिसदन, मोरहाबादी राँची तथा ट्रांजिट प्लैट हिनु (राँची) के फर्निशिंग हेतु विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों/प्रतिष्ठित फर्म से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित किया जाता है :-

सामग्रियों का विवरण

1. डबल बेड पलंग
2. सोफा सेट
3. सेन्टर टेबुल
4. टी०भी सेट-21"
5. फ्रीज - 165 लीटर एवं 185 लीटर
6. टी०भी० एवं केबिनेट
7. अलमीरा (गोदरेज) 6' x 4'
8. प्लास्टिक बाल्टी
9. मग
10. मैटरेस
11. तकिया/खोल
12. पर्दा
13. पर्दा रॉड
14. अलना (स्टील कपड़ा सुखाने का)
15. पॉवदान
16. पलंग साइड टेबल
17. डाइनिंग टेबल+कुर्सी
18. मिरर (बाथरूम के लिए)
19. ड्रेसिंग टेबुल
20. मच्छरदानी
21. तौलिया
22. कम्बल
23. सूप प्लेट (चीनी मिट्टी)
24. डोंगा (स्टील)
25. बॉल (चीनी मिट्टी)
26. कप प्लेट सेट (चीनी मिट्टी)
27. कप (चीनी मिट्टी)
28. चमच (स्टील)
29. टेबुल चमच (स्टील)
30. काँटा छूरी (स्टील)
31. छोटा चमच (स्टील)
32. पंजा (स्टील)
33. डब्बू (स्टील)
34. डेगची (अल्युमुनियम)
35. कड़ाही अल्युमुनियम)
36. सस्पेन अल्युमुनियम)
37. फराई पेन अल्युमुनियम)
38. कुकर 5, 6 लीटर अल्युमुनियम)
39. डेलीभरी पाईप
40. मोलडेड ट्रे
41. घास कटर मशीन
42. स्प्रे मशीन
43. जी०आई०पाईप
44. क्किटनाशक ग्रेन
45. स्टेबलाईजर
46. मिक्सी

- (1) निविदा प्राप्त की अन्तिम तिथि- 23.03.2007 को 12:00 बजे दिन तक।
- (2) अन्य विवरणी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा दिनांक 23.03.2007 को 3:00 बजे अपराह्न में खोला जायेगा। निविदादाता अगर चाहे तो निविदा खोलने के समय उपस्थिति रह सकते हैं।
- (3) निविदा आपूर्ति की विशिष्टता की जानकारी जिला नजारत शाखा, राँची से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।
- (4) निविदा के अनुरूप ही सामग्री आपूर्ति करना होगा।
- (5) बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
- (6) प्रतिभूति राशि के रूप में उपायुक्त राँची के पदनाम से 10,000.00 (दस हजार) रूपये बैंक ड्राफ्ट देय होगा।
- (7) निविदादाता अपने प्रतिष्ठान/फर्म का सी.एस.टी./जे.एस.टी./आयकर/निबंधन का प्रमाण-पत्र संलग्न करना है।
- (8) निविदादाता अपने प्रतिष्ठान / फर्म का वाणिज्य कर विभाग से निबंधित होना चाहिए।
- (9) विशेष परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरी को निविदा रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(कमल किशोर सोन)
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
राँची।